उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-188/2017/1499/92-2-17-85एम/2010
लखनऊ:: दिनांक:: 13 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-7, भाग-2 के पैकेज संख्या-5474 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2999/62-3-10-85एम/2010, दिनांक 10.09.2010 के द्वारा श्री बृजेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मुरादाबाद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के संपादनार्थ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित कर नियमानुसर जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या 01 माह मे उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2- कालान्तर में जांच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के दिनांक 28.02.2017 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-45/2017/308/92-2-2017-85एम/2010, दिनांक 10.03.2017 द्वारा विशेष सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के स्थान पर निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 25-05-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार के विरूद्ध अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नहीं पाये गये।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नहीं होता है। अतएव शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2999/62-3-10-85एम/2010, दिनांक 10.09.2010 द्वारा श्री बृजेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मुरादाबाद के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-188/2017/1499(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री बृजेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मुरादाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।